

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 548/2024 अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट

देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति नायक निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. सहीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू।
- असल प्रतिवादीगण
3. चेताराम पुत्र इन्द्राज जाति नायक निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. जगदीश पुत्र गणपतराम जाति नायक निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़
5. मनीराम पुत्र गणपतराम जाति नायक निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़
6. मोहनलाल पुत्र गणपतराम जाति नायक निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
-तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री दुलीचन्द अठवाल वकील-वादी
श्री कुन्दनलाल वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 19-05-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 5 आर.पी.एम. के पत्थर नम्बर 177/26(38) किला नम्बर 1/1 की 0.2280 हैक्टेयर भूमि के वादी एवम् तरतीबी पक्षकार सं. 3 ता 6 को खातेदार काश्तकार व चक नम्बर 5 आर.पी.एम. के पत्थर नम्बर 177/26(38) के किला नम्बर 14 की 0.2530 हैक्टेयर कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19-05-2025-
...को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

